

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान... लांगंच

दिनांक :- 02/06/22

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लांगंच व
मू-अभिलेख निरीक्षक सिम्पुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर स्थान
मू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सरोपा तहसील कपासन जिला
चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 58
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामत
के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	सरोपा	58	मैकलाल पुत्र शंकर नाथ	मैकलाल पुत्र शंकर नाथ

(DL)
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :-

103
02/06/2023

क्रमांक / प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामत शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

(DL)
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़